



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 फाल्गुन 1936 (श०)
(सं० पटना 324) पटना, सोमवार, 23 फरवरी 2015

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचनाएं
9 फरवरी 2015

सं० प्र०4-आ०-०१/२००९(खण्ड-III)-१२३०—भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रकाशित आदेश का० आ० संख्या—**2559(अ)** दिनांक **30 सितम्बर, 2014** से निर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2011 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम-10) की धारा-३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की पूर्व सहमति से बिहार-राज्यपाल के आदेश से विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश-2002 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण के बावत प्रयुक्त शब्दों और पदों को वस्तु अर्थात् खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन को **30 सितम्बर, 2015** तक की अवधि के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा।

2. विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक **7442** दिनांक **16.09.2014** द्वारा बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा पत्र एकीकरण) आदेश 1984 की अनुसूची-१ से 'खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन' को विलोपित किये जाने संबंधी आदेश को भी **30 सितम्बर, 2015** तक के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा।

3. विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 8969 दिनांक 04.11.2011 द्वारा निर्गत आदेश को दिनांक **30 सितम्बर, 2015** तक के लिए विस्तारित किया जाता है।

4. तत्सम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ/आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

5. यह अधिसूचना तत्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शैलेन्द्र कुमार चौधरी,
सरकार के अपर सचिव।

The 9th February 2015

No. Pra/04-aa-01/09-Part-III-1230—In exercise of the powers conferred by section-3 of the Essential Commodities Act 1955 (Central Act 10 of 1955) read with the order of the Government of India in the ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution published under order No.- **2559(E)** Dated **30th September, 2014** and in view of Removal

of (Licensing Requirements, Stock Limit and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) order 2011, with prior concurrence of Government of India, in the words and expressions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing Requirements Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs order 2002 shall be kept in abeyance for commodities, namely, **Edible Oil and Edible Oilseed** for a further period upto **30th September, 2015** from the date of commencement of this order.

2. The deletion of **Edible Oil and Edible Oilseed** from schedule -1, in Bihar Trade Article (Licences Unification) order-1984 vide departmental notification no. **7442**, dated **16th September, 2014** shall be kept in abeyance upto **30th September, 2015**.

3. The validity of the departmental notification issued vide memo no. 8969 dated 04.11.2011 is extended upto **30th September, 2015**.

4. Previously issued corresponding notifications/orders shall deem to be amended upto this extent.

5. This notification shall come into force at once.

By order of the Governor of Bihar,
SHAILENDRA KUMAR CHAUDHARY,
Additional Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 324-571+200-२०१००१०१०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>